मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

कोतवाली फर्रुखाबाद

#Fatehgarhpolice

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

थाना शमसाबाद

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

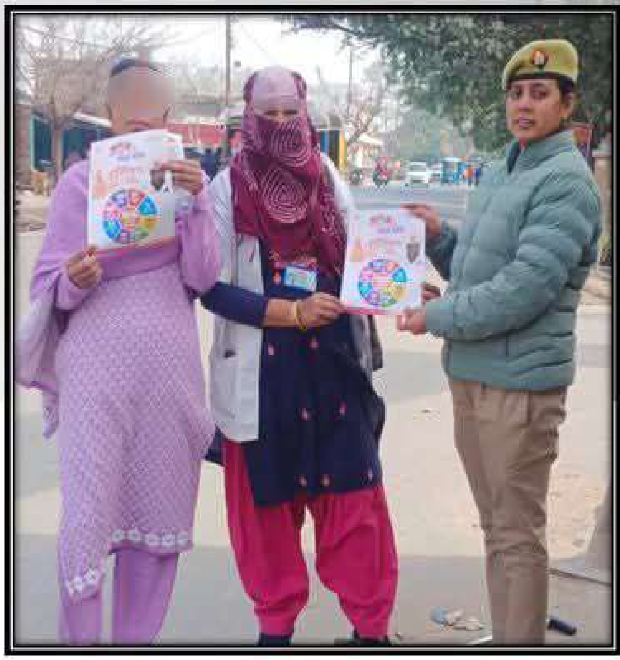

महिला थाना

#MissionShakti

मिशन शक्ति 5.0

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

कोतवाली मोहम्मदाबाद

महिला सहायता एवं सुरक्षा चक्र
1090 181 1076 112 1098 102 108

ICICI
1800 1080
SUNA HAI
JAAG JAIYE
GPS Map Camera

Farrukhabad, Uttar Pradesh, India
Lingigang, Linji Ganj Rd, Manhari, Farrukhabad, Uttar Pradesh 209625, India
Lat 27.391016° Long 79.590096°
Saturday, 07/02/2026 11:46 AM GMT +05:30
Google

उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
UTTAR PRADESH GRAMIN BANK

ऐक्सिस बैंक
AXIS BANK

ऐक्सिस बैंक

Indian
Bank

मिशन शक्ति 5.0

थाना मऊदरवाजा

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

कोतवाली फतेहगढ़

1090
Women Power Line

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

थाना जहानगंज

मिशन शक्ति 5.0

थाना कमालगंज

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

कोतवाली कायमगंज

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – कोतवाली फर्रूखाबाद

दिनांक :- 07.02.2026

कोतवाली फर्रूखाबाद पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 08 अदद प्लास्टिक कार्टन मे कुल 480 चरखी/कोन प्रतिबंधित चाइनीज मांझा सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फर्रूखाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त वसीम पुत्र जलील अहमद निवासी डबग्रान नलिया कोतवाली फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ को 08 प्लास्टिक के कार्टन मे कुल 480 चरखी/कोन प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचते हुए गिरफ्तार कर गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 35/2026 धारा 125 बीएनएस व धारा 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

01.वसीम पुत्र जलील अहमद निवासी डबग्रान नलिया कोतवाली फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- चाइनीज/नायलान, कांच मांझे से राहगीरों के साथ आये दिन हादसे होते हैं तथा चाइनीज /नायलान, कांच मांझे की बिक्री पर प्रतिबंध है। चाइनीज मांझे की बिक्री पर प्रतिबंध होने के पश्चात भी अभियुक्त उपरोक्त द्वारा चाइनीज/नायलान, कांच मांझे का अत्यधिक मात्रा में भण्डार कर बिक्री की जा रही थी। स्थानीय पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त वसीम पुत्र जलील अहमद के कब्जे से 08 प्लास्टिक के कार्टन मे कुल 480 चरखी/कोन प्रतिबंधित चाइनीज मांझा के साथ गिरफ्तार कर गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 35/2026 धारा 125 बीएनएस व धारा 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण: - अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मार्केट में चाइनीज मांझे की बिक्री की डिमाण्ड है इसे बेचने पर काफी मुनाफा होता तथा अपने किये गये कृत्य की गलती मानते हुए अपने बयान अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बताया।

अभियुक्त वसीम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

01.मु0अ0स0 35/26 धारा 125 बीएनएस व धारा 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कोतवाली फर्रूखाबाद जनपद फतेहगढ।

बरामदगी का विवरण:-

01. 08 गत्ते के कार्टन में कुल 480 चरखी/कोन प्रतिबंधित चाइनीज मांझा।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस :-

01.थानाध्यक्ष श्री दर्शन सिंह सोलंकी
02.उ0नि0 अमित कुमार गुप्ता
03.उ0 नि0 विजय कुमार
04.का0 मलिखान
05.का0 वीरेन्द्र सिंह
05.का0 संदीप कुमार
06.का0 गौरव कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना साइबर क्राइम

दिनांक :- 07.02.2026

थाना साइबर क्राइम जनपद फतेहगढ़ द्वारा मु0अ0सं0 01/2026 धारा 318(4)/319(2)/336(3)/338/340(2) बीएनएस तथा 66D IT Act से सम्बन्धित 5,65,225/- रूपये की साइबर ठगी करने वाले अपचारी किशोर को पुलिस अभिरक्षा में लेकर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर, श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर, श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर क्राइम फतेहगढ़ पुलिस के द्वारा मु0अ0सं0 01/2026 धारा 318(4)/319(2)/336(3)/338/340(2) बीएनएस तथा 66D IT Act से सम्बन्धित 5,65,225/- रूपये की साइबर ठगी करने वाले अपचारी किशोर को पुलिस अभिरक्षा में लेकर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

अपचारी किशोर द्वारा अपने मोबाइल से जस्ट डायल एप पर फर्जी आईडी बना कर उस आईडी पर प्राप्त होने वाली लोगों की इन्क्वायरी पर व्हाट्सएप के जरिये लोगों के साथ ट्रांसपोर्ट मुहैया कराने व सोलर पैनल आदि सामान को व्हाट्सएप नंबरों से चैट करके फर्जी तरीके से बेचने की बात कह कर लोगों से बुकिंग का एडवांस देने के नाम पर धोखाधड़ी कर 5,65,225/- रूपये की साइबर ठगी की गयी जिस पर कुल 24 साइबर शिकायतें दर्ज हैं। थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 01/2026 धारा 318(4)/319(2)/336(3)/338/340(2) बीएनएस तथा 66D IT Act बनाम अपचारी किशोर के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपचारी किशोर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया जिसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

बरामद धनराशिः-

1. 03 अदद इस्तेमाली मोबाइल।
2. कुल 2100/- रूपये नगद।
3. एक अदद काले रंग की पल्सर मोटर साइकिल बिना नंबर।
4. मोबाइल स्क्रीनशॉट फर्जी दस्तावेज।

बरामद करने वाली साइबर थाना पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार
2. उ0नि0 श्री सुबोध यादव
3. हे0का0 रविन्द्र प्रताप सिंह
4. का0 अरविन्द यादव
5. का0 अंकित आर्य
6. का0 गौरीशंकर
7. का0 कौटिल्य

मीडिया सेल फतेहगढ़।

- **साइबर अपराध के प्रति जागरूकता ही बचाव है। साइबर अपराध के शिकार होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर ऑनलाइन शिकायत करें अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत पंजीकृत करें या अपने नजदीकी थाने की साइबर हेल्प डेस्क पर पहुँच कर लिखित शिकायत करें।**
- **सतर्क रहें , जागरूक रहें ।**
- **साइबर क्राइम पुलिस उत्तर प्रदेश सदैव आपकी सेवा में तत्पर है ।**